

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां, जिला-बारां।

क्रमांक:- स्टेनो/प्रशा./2026/28

दिनांक :- 10.09.2026

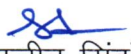
--संशोधित कार्यालय आदेश--

मैं अमरजीत सिंह, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां एतद्वारा धारा 12 व 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक कारणों से इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक स्टेनो/प्रशा./2026/27 दिनांक 31.08.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए बारां जिले में नगरीय निकाय चुनाव के चलते दिनांक 11.09.2026 को घोषित अवकाश के कारण आवश्यक प्रकृति के दायिद्वक कार्य जैसे बेल, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, मृत्युकालिन कथन आदि हेतु निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण का कार्य उनके मुख्यालय पर नियत करता हूं।

क्र० सं०	दिनांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय का नाम	मोबाईल नं०
01	11.09.2026	श्री शारिक हुसैन	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छीपाबडौद	मो०नं०-9828080831

नोट:-

- उक्त न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथि पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को सूचना दिये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुए अपना मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
- उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, यदि वह अपने मुख्यालय पर मौजूद हैं, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे।

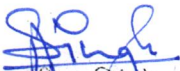

(अमरजीत सिंह)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां,
जिला बारां (राज०)

क्रमांक :- 1404

दिनांक :- 10.09.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
- श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
- थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां।
- सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय-क्षेत्र की Website-baran.dcourt.gov.in पर इस आदेश को अपलोड व बारां न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों में ई-मेल करने हेतु।
- कार्यालय प्रति।


(अमरजीत सिंह)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां,
जिला बारां (राज०)